	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	माघ 29, मंगलवार, *शाके* 1941–फरवरी 18, 2020 *Magha 29, Tuesday, Saka 1941–February 18, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

(क-ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 17, 2020

जी.एस.आर.86 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 से संलग्न अनुसूची-I में, शीर्ष **"राज्य सेवा के पद"** के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

^^

1	2	3	4	5	6	7
1.	संयुक्त शासन सचिव	100% पदोन्नति द्वारा	-	उप सचिव, विधि रचना संगठन	राजस्थान विधि रचना अधीनस्थ सेवा सहित सेवा में सम्मिलित पदों पर 27 वर्ष का अनुभव	-

**

[सं. एफ. 1(5)डीओपी/ए-II/82 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

उप शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr-II)

NOTIFICATION

Jaipur, February 17, 2020

G.S.R.86 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Vidhi Rachana (State and Subordinate) Service Rules, 1981, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Vidhi Rachana (State and Subordinate) Service (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Schecule–I.- In Scheule-I appended to the Rajasthan Vidhi Rachana (State and Subordinate) Service Rules, 1981, under the heading "Post in State Service"- the existing serial no. 1 and entries thereto, shall be substituted by the following, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
1.	Joint Secretary	100% by Promotion	-	Deputy Secretary, Vidhi Rachana Sangathan	27 Years' experience on the posts included in the service including the Rajasthan Vidhi Rachana Subordinate Service	-

[No. F.1(5) DOP/AII/82Pt.]
BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR,
JAI SINGH,
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।